उत्तराखण्ड सरकार

MSBCCF

माधो सिंह भंडारी
सामूहिक सहकारी खेती योजना

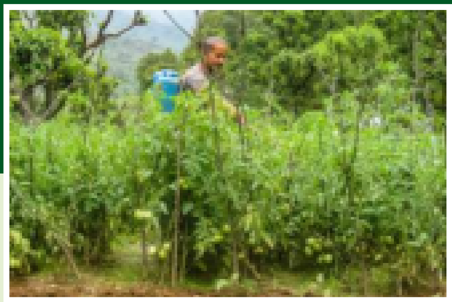

उत्तराखंड के 95 ब्लॉकों हेतु एक जांचे–परखे एकीकृत खेती मॉडल की शुरूआत

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना-सहकारिता विभाग की एक नई पहल

CCF
सामूहिक सहकारी खेती
उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–UKCDP
संकल्प से सिद्धि–सहकारिता से समृद्धि

1. पृष्ठभूमि

उत्तराखंड के निवासियों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। राज्य का 86% भूभाग पहाड़ी और 14% मैदानी है। यहां की 70% आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। प्रदेश में कुल 6.37% लाख है0 क्षेत्र पर खेती हो रही है। राज्य में 1.82 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर है तथा कुल 3.29 लााख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि खाली पड़ी है। प्रकृति में 'जीवन और जीवंतता' को बनाए रखने के लिए खेती एक बुनियादी जरूरत है। उत्तराखंड का खेती–बाड़ी और दुग्ध पालन के क्षेत्र में समृद्ध इतिहास रहा है। लेकिन पिछले तीन दशकों में इन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। कई कारकों से यहां उपजाऊ क्षेत्र लगातार कम हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण अभी भी खेती और बागवानी में लगे हैं, लेकिन खेती से उचित आय न पाने के कारण वह कृषि को एक गैर लाभकारी व्यवसाय मानते हैं।

2. कृषि क्षेत्र की चुनौतियां

पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गमता व कठिनाइयों के कारण कृषि क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है। राज्य की जलवायु फसलों के उत्पादन चक्रों को विविधता प्रदान करती है। राज्य की प्रमुख फसलों में अनाज, मोटे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, फूल, सगंधित और औषधीय पौधे शामिल हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, दूर–दूर बिखरी व छोटी कृषि जोतों, खेती के परंपरागत तौर–तरीकों, गुणत्तापूर्वक इनपुटों की अनुपलब्धता, गांवों से मैदानों की ओर पलायन, बंजर भूमि के बढ़ते रकबे, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, किसानों की संगठित बाजारों तक सीमित पहुंच, खेती की बारिश पर निर्भरता, प्रसंस्करण व परिवहन सुविधाओं का अभाव, महंगी परिवहन प्रणाली, उत्पादों को सुरक्षित रखने की चुनौती, आंकड़ों का संकलित न होना, नवीनतम तकनीकी एवं आवश्यक कृषि निवेशों तक किसानों की पहुंच न बन पाने जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। यहां उत्पादों को खेतों से भोजन की थाली तक पहुंचाने के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला के घटक या तो मौजूद नहीं हैं या फिर उनका प्रयोग जल्दी नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के संदर्भ में नहीं हो पा रहा है। यहां का किसान अपने जीवन निर्वाह लायक उत्पादन ही कर पाता है या फिर अपने अधिशेष उत्पादों को बहुत कम दामों पर स्थानीय बाजारों में बेचने को मजबूर होता है।

ग्रामीण अर्थव्यस्था में व्याप्त कृषि क्षेत्र की यह चुनौतियां उत्तराखंड राज्य के विकास दर को प्रभावित करती हैं। **कृषि क्षेत्र की उक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए विविध मूल्य श्रृंखलाओं का विवेकपूर्ण प्रबंधन आज समय की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के संतुलित प्रबंधन की परिकल्पना सहकारिता विभाग द्वारा संचालित UKCDP परियोजना में की गई है।**

3. UKCDP- एक परिचय

उत्तराखंड की **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों–एम. पैक्स** के माध्यम से उत्तराखंड की कृषि क्षेत्र की उक्त चुनौतियों के मध्यनजर सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–**UKCDP संयुक्त सहकारी खेती–CCF** के माध्यम से वृहद स्तर पर उत्पादन, संग्रहण एवं तैयार उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर बाजार में उतार कर किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाकर उनके जीवन निर्वाह स्तर में बदलाव लाने हेतु प्रतिबद्व है।

परियोजना के अन्तर्गत राज्य की 670 सहकारी समितियों को सुदृढ़ करते हुए **'ग्रामीण आर्थिक विकास केन्द्र'** के तौर पर विकसित कर किसानों की छोटी–छोटी जोतों को जोड़कर सहकारी सामूहिक खेती हेतु उनका प्रयोग करके उस संयुक्त भूमि पर आधुनिक तकनीकी द्वारा क्षेत्र विशेष हेतु तय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करना परियोजना का दूरगामी लक्ष्य है। साथ ही कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखलाएं विकसित कर भंडारण, शीत भंडारण तथा खेतों से बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच बनाना भी परियोजना का उद्देश्य है। सहकारी समितियों के व्यवसायों यथा कृषि औद्यानिकी, जड़ी बूटी, सगन्ध पौध, होम स्टे व ई–मंडी आदि का सम्यक विकास भी परियोजना लक्ष्यों में शामिल है। सहकारिता क्षेत्र की दशा और दिशा सुधार हेतु UKCDP देश की अपनी तरह की ही एक विशिष्ट परियोजना है। परियोजना से जुड़े लाखों किसानों के साथ 50,000 सीमांत व लघु किसान इससे लाभान्वित होंगे। परियोजना आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की दिशा में एक उत्प्रेरक की तरह क्रियाशील है।

4. CCF–सामूहिक सहकारी खेती क्या और क्यों

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से आजीविका की तलाश में मैदानों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इस कारण राज्य में अनुपयोगी भूमि का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। खेती–बाड़ी और आजीविका से जुड़ी इन समस्याओं के आलोक में UKCDP द्वारा राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि योग्य खाली पड़ी भूमि पर **सामूहिक सहकारी खेती** करने की परिकल्पना की गई है, जिसे सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल कहा गया है।

सामूहिकता उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। खेती–बाड़ी, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक–राजनैतिक–आर्थिक जीवन की पृष्ठभूमि सामूहिक संस्कृति के भाव से सरोबार हैं। उत्तराखंड का जन्म ही सामूहिक आंदोलन की पृष्ठभूमि से हुआ है। जल–जंगल–जमीन–जन को सामूहिकता के भाव से ही सहेजा गया है। सामूहिकता की इस पृष्ठभूमि पर UKCDP की सामूहिक खेती की इस सोच को जमीन पर उतारना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सामूहिकता यहां की संस्कृति व नागरिकों के मनोमस्तिष्क में सदियों से रची–बसी है। बस आवश्यकता है, सामूहिकता की इस सांस्कृतिक सोच को परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप नया रूप–रंग देने की। राज्य का सहकारिता आंदोलन UKCDP के माध्यम से इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाकर एक बड़ी क्रांति ला सकता है।

मोगी सामूहिक सहकारी खेती मॉडल, जौनपुर, टिहरी गढ़वाल

5. मोगी सामूहिक सहकारी खेती मॉडल

UKCDP द्वारा सामूहिक सहकारी खेती की इस सोच को राज्य के 95 ब्लॉकों में क्रियान्वयन से पूर्व टिहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक के मोगी बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति द्वारा जुलाई 2021 में **सामूहिक सहकारी खेती के एक एकीकृत पायलट मॉडल** की शुरुआत की गई। पायलट परियोजना में सहकारी समिति मोगी ने पलायन के कारण 55 स्थानीय गामीणों द्वारा छोड़ी गयी 50 एकड़ कृषि भूमि पर व्यावसायिक खेती करना तय किया। ग्रामीणों से रू. 500 प्रति नाली प्रति वर्ष किराये पर भूमि 15 वर्ष के लिए अधिग्रहित की गई। सामूहिक सहकारी खेती के इस **''मोगी मॉडल''** के अन्तर्गत मोगी सहकारी समिति द्वारा अधिग्रहित बंजर भूमि को आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेप द्वारा खेती योग्य बनाकर परियोजना स्थल तक एप्रोच सड़क पहुंचाकर वहां ड्रिप सिंचाई, सोलर वाटर पंप, नहर, आदि के द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकी अपना करके व्यावसायिक खेती की शुरूआत की गई। अक्टूबर 2021 में मोगी समिति की सब्जी उत्पादन से 1.71 लाख की आय हुई। साथ ही इस भूमि पर मोगी समिति द्वारा फलों के बगीचे, जड़ी–बूटियां एवं अन्य नगदी फसलों को लगाने की शुरूआत की गई है। उत्पादित उपज को परियोजना द्वारा स्थापित बिक्री केंद्रों से जोड़कर बाजार में उचित मूल्य प्रदान करना भी सुनिश्चित किया गया है। **मोगी मॉडल की सफलता ने उत्तराखंड में एक नया अध्याय शुरू किया है कि सालों से पड़ी बंजर भूमि को किसानों द्वारा स्वयं या सहकारी समितियों के माध्यम से उपजाऊ बनाकर किसानों की आजीविका में वृद्धि कर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है।** इसी सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मोगी मॉडल को दोहराने की शुरूआत राज्य के 95 ब्लॉकों में 30 मार्च 2023 को **UKCDP** परियोजना द्वारा व्यापक जनहित में की जा रही है।

6. सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल का उद्देश्य

- उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉक में दोहराने लायक एक सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल की स्थापना।
- बंजर एवं खाली पड़ी भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना।
- सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक कृषि कलस्टर विकसित कर उत्पादन बढ़ाना।
- उत्पादित फसलों को उचित बाजार उपलब्ध कराना।
- राज्य में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना।
- एम. पैक्स को एक व्यावसायिक इकाई के तौर पर विकसित करना।
- व्यावासायिक खेती के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों हेतु आजीविका के अवसर पैदा करना।
- उन्नत कृषि तकनीकों और आधुनिक कृषि कार्य पद्धतियों के माध्यम से सब्जियों, मोटे अनाजों, दालों, फलों, मशरूम, जड़ी–बूटियों, चारा फसलों आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- सी.सी.एफ. मॉडल के अन्तर्गत कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना।

7. सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल की अवधारणा

- राज्य के 95 विकासखंडों में जिला सहायक निबंधकों द्वारा खाली पड़ी 50 एकड़ कृषि भूमि का चयन किया जायेगा। यह भूमि एक या 2–3 चकों में (एक चक या आस–पास में ही अलग–अलग चकों के तौर पर) नजदीकी इलाकों में हो सकती है।
- जिला सहायक निबंधक द्वारा उस विकासखंड में एक सहकारी समिति का ''नोडल समिति'' के रूप में चयन किया जायेगा, जो सामूहिक सहकारी खेती के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होगी।
- नोडल समिति द्वारा चयनित भूमि को रू. 500 प्रतिवर्ष प्रति नाली की दर पर लीज में न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 29 वर्ष 11 महीने के लिए भू–स्वामी से अनुबंध के बाद अधिग्रहण किया जायेगा।
- अधिग्रहित भूमि में समिति द्वारा सामूहिक सहकारी खेती के अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि उत्पादन के प्रबंधन का कार्य किया जायेगा ।
- प्रत्येक नोडल समिति चयनित भूमि हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी, जोकि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु एवं उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के अनुरूप होगी।
- परियोजना क्रियान्वयन में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका रहेगी।
- परियोजना को टिकाऊ बनाने हेतु बुनियादी ढांचा, सिंचाई और अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु रेखीय विभागों व अन्य संस्थानों के साथ अभिसरण योजना तैयार की जायेगी।
- परियोजना स्थल पर कस्टम हायरिंग सेंटर (C.H.C.) की स्थापना की जायेगी।

8. भूमि चयन के मापदंड

- भूमि एक ही चक में हो या अलग–अलग चक आस–पास हों।
- भूमि सड़क के नजदीक हो।
- भूमि में या उसके आस–पास पानी के स्त्रोत हों।
- स्थानीय निवासी खेती कार्य हेतु उपलब्ध हों।
- भू–स्वामी वांछित समय अवधि हेतु अनुबंध हेतु तैयार हों।

- संयुक्त सहकारी खेती हेतु भूमि का चयन ''हाइब्रिड पद्धति से निम्नानुसार होगा–
- उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सहकारी खेती हेतु, पलायन के कारण खाली पड़ी भूमि को नोडल समिति लीज में लेकर उस पर व्यावसायिक खेती करेगी।
- मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सहकारी खेती हेतु पलायन के कारण खाली पड़ी किसानों की भूमि का लीज पर अधिग्रहण करने के साथ ही क्षेत्र में खेती कर रहे अन्य किसानों को भी संयुक्त सहकारी खेती से जोड़कर आवश्यक सुविधाएं जैसे बाजार व्यवस्था,तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराई जाएंगी।
- मैदानी क्षेत्रों में समिति के माध्यम से प्रगतिशील किसानों का चयन कर 50 एकड़ भूमि में संयुक्त सहकारी खेती का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
- सहकारी समितियां आगामी 2 सालों में निम्नानुसार 2 चरणों में भूमि का चयन करेंगी।

9. परियोजना क्रियान्वयन–रोडमैप

- जिला सहायक निबंधक परियोजना द्वारा राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक नोडल एम. पैक्स का चयन।
- नोडल एम. पैक्स द्वारा एक कलस्टर में 50 एकड़ बंजर/अप्रयुक्त भूमि (एक ही पैच में प्राप्त भूमि को वरीयता) या विकेंद्रीकृत भूमि की पहचान करने के लिए रेखीय विभागों के सहयोग से गांव समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन।
- यू.के.सी.डी.पी. भविष्य की वित्तीय मांग पूरा करने और रेखीय विभागों के साथ अभिसरण योजना बनाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने में नोडल एम. पैक्स को सहयोग करेगा।

10. परियोजना क्रियान्वयन के चरण

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में निम्नानुसार होगा–

चरण	वर्ष	ब्लॉकों की संख्या	कुल आच्छादित भूमि (नाली में)
चरण-1	2023-24	30	30,000
चरण-2	2024-25	65	65,000

11. सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल के अन्तर्गत संभावित फसलें

क्रम संख्या	जनपद	मुख्य फसलें				
		सब्जियां और दालें	औषधीय और सगंधित पौधे	फल	फूल	संरक्षित खेती
1	मध्य पहाड़ी क्षेत्र	फैंच बीन, बंद गोभी, हरी मटर, भिंडी, गोभी, चना	लैमनग्रास, सफेद मूसली, रोजमेरी	आम, आड़ू, लीची, कीवी	गुलदावरी, गेंदा	खीरा, टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और अन्य विदेशी सब्जियां
2	उच्च पहाड़ी क्षेत्र	फैंच बीन, बंद गोभी, हरी मटर, गोभी, आलू, राजमा	सफेद मूसली, गुलाब, पाक कला में उपयोगी जड़ी बूटियां	आड़ू, पुलम, सेब, खुबानी	गुलदावरी	खीरा, टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और अन्य विदेशी सब्जियां
3	मैदानी क्षेत्र	बंद गोभी, हरी मटर, गोभी, खीरा, बैंगन	लैमनग्रास, पुदीना	आम, अमरूद लीची	गेंदा	खीरा, टमाटर, रंगीन शिमला

12. वित्तीय स्त्रोत

सहकारी समितियां इस उप–योजना का कियान्वयन यू.के.सी.डी.पी. और रेखीय विभागों की मदद से निम्नानुसार उपलब्ध वित्तीय साधनों से करेंगे–

कम संख्या	विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	सहायक विभाग	टिप्पणी
1	परियोजना कियान्वयन– परिचालन लागत एवं मानव संसाधन	8075	यू.के.सी.डी.पी.	डी.पी.आर. के अनुसार एम.पैक्स को वर्तमान प्रचलित ब्याज दर के अनुसार ऋण का सहयोग। प्रत्येक ब्लॉक हेतु औसतन 85 लाख रुपये
2	2 साल के लिए लीज धनराशि	950		2 साल की लीज धनराशि की सहायता। रू. 500 प्रति नाली प्रति वर्ष की दर से।
3	** सिंचाई, सिविल निर्माण, बाड़ टैंक आदि और परियोजना स्थल का विकास	850	रेखीय विभाग	रीप, जिला योजना, मनरेगा, कृषि एवं उद्यान विभाग आदि द्वारा
कुल (रू. लाख में)		**9875**		

* अभिसरण के माध्यम से रेखीय विभागों से प्राप्त होने वाली सहायता का आंकलन प्रत्येक ब्लॉक की डी.पी.आर. तैयार करते समय की किया जायेगा।

** संबधित परियोजना क्षेत्र के लिए सिंचाई, सिविल निर्माण, और परियोजना स्थल के विकास आदि गतिविधियों को विभाग की पूर्व प्रतिबद्धता के अनुसार रेखीय विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार मदद दी जायेगी।

13. हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

इस परियोजना में सभी हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां तय की गई हैं–

सहकारी समिति

- राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में सामूहिक सहकारी एकीकृत कृषि मॉडल के लिए भूमि को चिन्हित करना।
- परियोजना हेतु किसानों को संगठित कर किसानों से एम. पैक्स को भूमि पट्टे पर दिलवाने की प्रकिया पूरी करना।
- यू.के.सी.डी.पी. से ऋण राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजीकरण प्रकियाएं पूरी करवाना।
- रेखीय विभागों के साथ अभिसरण योजना तैयार करवाना।
- परियोजना कियान्वयन हेतु आवश्यक मानव संसाधन नियुक्त करना।
- डी.पी.आर. के अनुसार समय पर उत्पादन और तय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- यू.के.सी.डी.पी. को ऋण राशि का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना।
- परियोजना के सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठक करना।

यू.के.सी.डी.पी.

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और व्यावसायिक योजना बनाने में एम. पैक्स को मदद करना।
- स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एम. पैक्स को धन उपलब्ध करवाना।
- परियोजना की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना।
- सभी ब्लॉकों की कार्य प्रगति का उचित दस्तावेजीकरण कर उसे उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करना। सभी सहकारी समितियों को अभिसरण सहायता उपलब्ध करवाने हेतु रेखीय विभागों के साथ संपर्क करना।

रेखीय विभाग

- अलग–अलग रेखीय विभागों की योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- एम. पैक्स को दिये गये आश्वासनों के अनुरूप योजनाएं समय पर उपलब्ध करवाना।
- बुनियादी ढांचे, कृषि व अन्य कृषि संबधी गतिविधियों हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।

किसान

- परियोजना स्थल पर दैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना।
- बंजर भूमि की पहचान और पट्टे पर भूमि देने की प्रकिया में एम. पैक्स को सहायता करना।

14. CCF अनुश्रवण समिति

यू.के.सी.डी.पी. राज्य के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में कार्य प्रगति की नियमित निगरानी और परियोजना के सुचारू संचालन हेतु एक जिला स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन समिति का गठन करेगी। मुख्य विकास अधिकारी इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। हर दो सप्ताह के अंतराल में समिति की नियमित तौर पर बैठक होगी। बैठक में वह अब तक हुए कार्यों का ब्यौरा मुख्य परियोजना निदेशक–यू.के.सी.डी.पी. के समक्ष प्रस्तुत करेगी। कमेटी का गठन निम्नानुसार होगा–

- मुख्य विकास अधिकारी– अध्यक्ष
- सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां–सचिव
- मुख्य उद्यान अधिकारी– सदस्य
- मुख्य कृषि अधिकारी– सदस्य
- नोडल अधिकारी– सदस्य

15. परियोजना के अपेक्षित परिणाम

- कुल 1900 हेक्टेयर बंजर भूमि को खेती योग्य क्षेत्र में बदलना।
- जमीन को पट्टे पर देने से काश्तकारों को 950 लाख रूपये की आमदनी होना।
- आस–पास के क्षेत्र में कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलना जैसे कृषि, पर्यटन, डेयरी आदि।
- राज्य में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिलना।
- परियोजना स्थल पर कस्टम हायरिंग सेंटर–सी.एच.सी. की स्थापना।
- राज्य में जलवायु के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।
- परियोजना क्रियान्वयन के दौरान अलग–अलग गतिविधियों के माध्यम से रोजगार सृजन।

मोगी मॉडल के अन्तर्गत हुई गतिविधियां

हमारा अनुरोध है कि आप परियोजना कियान्वयन के सुचारू संचालन एवं कियान्वयन में अपनी–अपनी सकिय भागेदारी दर्ज कर उत्तराखंड राइस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनायेंगे। किसी भी आवश्यक जानकारी हेतु परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।

आनन्द ए. डी. शुक्ल
अपर निबंधक/परियोजना निदेशक

आलोक कुमार पाण्डेय
आई.ए.एस.
निबंधक/ अपर मुख्य कार्यक्रम निदेशक

डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम
आई.ए.एस.
सचिव/मुख्य कार्यक्रम निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखंड
चतुर्थ तल कपूर टावर, राजपुर रोड़, देहरादून।
फोन नं0–0135–2712060,
ईमेल–cooperativeprojects.uk@gmail.com,ukcdpddn@gmail.com

Designed & Printed at: Shiva Offset Press, Dehradun, Ph. 0135-2715748